3818
30.3.16

संख्या– 21 /xxiv-5/2010/2(103)/2005

प्रेषक,

रंजना
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

मा0 शिक्षा अनुभाग–5

देहरादून, दिनांक: 29 मार्च, 2016

विषयः– राज्य के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा–9 से 12 तक के विद्यार्थियों से वर्तमान में लिए जा रहे विभिन्न शुल्कों की दरों को पुनरीक्षण/वृद्धि किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/अका0अनु0/27620–21/शुल्क/2015–16 दिनांक 01 फरवरी, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 380/xxiv–3/2005 दिनांक 21नवम्बर, 2005 द्वारा राज्य के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में कक्षा–6 से 12 तक अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से लिए जाने वाली शुल्क की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 380/xxiv–3/2005 दिनांक 21नवम्बर, 2005 में शुल्क की निर्धारित दरों को तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षित/वृद्धि करते हुए राज्य के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में कक्षा–9 से कक्षा–12 तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों से वर्तमान में लिए जा रहे शिक्षण शुल्क की दर निम्नांकित तालिका के अनुसार पुनरीक्षित/वृद्धि करते हुए अध्ययनरत् विद्यार्थियो से संशोधित दरों के अनुरूप शुल्क प्राप्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

"शिक्षण शुल्क"

क0सं0	शुल्क का नाम	कक्षा 11–12		कक्षा 09–10		अन्य
		वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर	
छात्रनिधि शुल्क						
1	विज्ञान शुल्क	4.00	5.00	2.00	पूर्ववत्	मासिक
2	कीड़ा	2.00	3.00	2.00	3.00	मसिक
3	गृह परीक्षा	12.00	15.00	10.00	12.00	छमाही
4	जलपान	2.00	3.00	2.00	3.00	छमाही
5	प्रगति पत्र	1.00	2.00	1.00	2.00	वार्षिक

3– उपरोक्त शासनादेश दिनांकः 21 नवम्बर, 2005 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्ते/दरें पूर्ववत् लागू रहेंगे।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0: 421(P)XXVII(3) 15-16 दिनांक 16.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीया,

(रंजना)
अपर सचिव

Scanned by CamScanner

457
5.6.13

संख्याः 909 /XXIV-3/13/02(58)2013

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग– 3 देहरादूनः दिनांक 03 जून,2013.

विषयः राज्य के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा–9 से 12 तक के विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क की दरों का पुनरीक्षण/वृद्धि किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्याः बेसिक–5/9513/अकादमिक/43(1)2012–13 दिनांकः 14.12.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 380/XXIV–3/2005 दिनांकः 21.11.2005 द्वारा राज्य के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में कक्षा–6 से 12 तक अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से लिए जाने वाली शुल्क की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 380/XXIV–3/2005 दिनांकः 21.11.2005 में शुल्क की निर्धारित दरों को तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षित करते हुए राज्य के शासकीय विद्यालयों में कक्षाः 9 से कक्षा–12 तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों से वर्तमान में लिए जा रहे शिक्षण शुल्क की दर निम्नांकित तालिका के अनुसार वृद्धि करते हुए अध्ययनरत विद्यार्थियों से संशोधित दरों के अनुरूप शुल्क प्राप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

" शिक्षण शुल्क"

वर्ग	कक्षा 9–10		कक्षा 11–12		अन्य विवरण
	वर्तमान शुल्क दर	संशोधित शुल्क दर	वर्तमान शुल्क दर	संशोधित शुल्क दर	
कला एवं वाणिज्य वर्ग	15.00	20.00	20.00	25.00	मासिक
विज्ञान वर्ग	15.00	20.00	25.00	30.00	मासिक

4. उपरोक्त शासनादश दिनांकः 21नवम्बर, 2005 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्ते/दरें पूर्ववत लागू रहेंगी।

क्रमशः–2

Scanned by CamScanner

5. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0 11(NP)XXVII/2013-14 दिनांक 31 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 909 /XXIV-3/13/02(58)2013 तद्दिनांक.

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, गढवाल/कुमायूं मण्डल उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/बेसिक), उत्तराखण्ड (द्वारा राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान)
12. शिक्षा अनुभाग–2,3,4 व अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
13. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्याः 380/XXIV-3/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग—3 देहरादून दिनांक 21 नवम्बर,2005

विषयः बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अर्थ—1 /33861/ शुल्क/ 2005—06 दिनाँक 28—9—2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की दरों को संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार तात्कालिक प्रभाव से पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2— उक्त के संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सभी निधियों के लिए एक ही बैंक खाता खोला जायेगा। बैंक में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज को समस्त निधियों में आवंटित न करके निर्धन छात्र/छात्राओं हेतु शिक्षण सामग्री एवं विद्यालय गणवेश में व्यय किया जायेगा। अलग—अलग छात्र निधियों के रख—रखाव हेतु पंजिकायें पूर्व की भॉति रखी जायेगी एवं धनराशि का आहरण पृथक — पृथक निधियों में, जमा धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। अर्थात एक निधि में जमा धनराशि से अधिक धनराशि किसी भी दशा में आहरित नहीं की जायेगी। राजकोष में जमा किया जाने वाला शुल्क पूर्ववत व्यवस्था के अनुसार यथावत राजकोष में जमा किया जाता रहेगा।

3— कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Scanned by CamScanner

4— यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या 69/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु—3/05 दिनाँक 25.10.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक— यथोपरि।

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 380 (1) XXIV—3/2005 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल— नैनीताल।
5— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल— पौड़ी गढ़वाल।
6— समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरांचल।
8— वित्त अनुभाग—3।
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संलग्नक— यथोपरि।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

Scanned by CamScanner

शासनादेश संख्या: 380/XXIV-3/2005 दिनाँक 21 नवम्बर,2005

क्र0सं0	शुल्क का नाम	कक्षा 11–12		कक्षा 9–10		कक्षा 7–8		कक्षा 6		
		वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1–	शिक्षण शुल्क									
	कला एवं वाणिज्य	20.00	20.00	15.00	15.00	–	-	-	-	मासिक
	विज्ञान वर्ग	25.00	25.00	15.00	15.00	-	-	-	-	मासिक
2–	विलम्ब दण्ड	0.10	-	0.10	_	0.10	_	0.10		मासिक
3–	अनुपस्थित दण्ड	0.10	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	मासिक
4–	मंहगाई शुल्क	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	–	1.00	–	मासिक
5–	विकास शुल्क	8.00	8.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	मासिक
6–	विज्ञान शुल्क	3.50	4.00	1.50	2.00	–	–	–	–	मासिक
7–	रेडकास	0.15	1.00	0.15	1.00	0.10	1.00	0.10	1.00	मासिक
8–	क्रीड़ा	0.40	2.00	0.30	2.00	0.20	1.00	0.20	1.00	मासिक
9–	स्काउट गाइड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	0.30	1.00	मासिक
10–	प्रगति पत्र	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	वार्षिक
11–	पुस्तकालय/ वाचनालय	8.00	10.00	8.00	10.00	4.00	0.00	4.00	0.00	वार्षिक
12–	गृह परीक्षा	8.00	12.00	8.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	छमाही
13–	निर्धन छात्र निधि	1.00	3.00	1.00	3.00	0.10	2.00	0.10	2.00	छमाही
14–	जलपान	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	छमाही
15–	श्रव्य दृश्य	0.10	2.00	0.10	2.00	0.10	1.00	0.10	1.00	छमाही
16–	वाहन शुल्क छात्रओं हेतु	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	मासिक
	अध्यापकों हेतु	15.00	50.00	_	_	_	_	_	_	मासिक
17–	विद्युत	1.50	2.00	1.50	2.00	1.50	0.00	1.50	0.00	छमाही
18–	पत्रिका	1.50	2.00	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	वार्षिक

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

Scanned by CamScanner